

प्रेषक,

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

सेवा में,

1- निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
100/6 नैशविला रोड,
देहरादून।

3- निदेशक,
कृषि विभाग,
नन्दा की चौकी,
प्रेमनगर, देहरादून।

5- निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण,
डांडा लखोण्ड,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

7- निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल,
तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून।

9- निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
ननूरखेड़ा, तपोवन,
सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

2- निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन,
चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा।

4- निदेशक,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
तपोवन रोड,
रायपुर, देहरादून।

6- निदेशक,
पंचायतीराज, डांडा लखोण्ड,
निकट आई0टी0पार्क,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

8- निदेशक,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

10- निदेशक,
समाज कल्याण,
दुर्गा भवन, एल0आई0सी0बिल्डिंग,
कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।

पत्रांक 1885 / 1-स्था0-90II / 2015-16 दिनांक 16 अक्टूबर, 2015.
विषय:- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

कृपया वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-373/XXVII(7) 27(2)/2011 दिनांक 16 जनवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा कलेक्टर, गण्डलायुक्त कार्यालय तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान रु0 67000-3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर-79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय स्तर में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड रु0 15600-39100, ग्रेड पे-5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा, उल्लिखित है। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-153/XXX(2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय स्तर के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015 में मुख्य प्रशासनिक

अधिकारी पद पर पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण किया गया है। जिसमें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे परिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना है।

उक्त क्रम में अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके विभागान्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता/चयन का मानक क्या है। क्या यह पद विभाग के अन्तर्गत जो कनिष्ठ लिपिक का संवर्ग स्वीकृत है, उसके ज्येष्ठ कार्मिक का चयन ज्येष्ठता/श्रेष्ठता अथवा मिनिस्ट्रियल संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के आधार पर किया जाता है, आपके यहाँ ज्येष्ठता सूची का आधार क्या है, जनपद स्तरीय/मण्डल स्तरीय/राज्य स्तरीय। इस सम्बन्ध में विभागान्तर्गत यदि कोई शासनादेश जारी हुआ हो तो, उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उक्तानुसार।

भवदीय

16/10/2015
(रोशन लाल)

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास.

R-No- 1105/XI/15

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या: 153/XXX(2)/2015-3(2)2010

देहरादून दिनांक 9 अप्रैल, 2015

अधिसूचना संख्या- 153/XXX(2)/2015-3(2)2010, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु मात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
 5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
 6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
 7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
 8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 9. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
 10. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
 11. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
 12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 13. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
 14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
 15. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
 16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- संलग्नक:- यथोक्त।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-153/XXX(2)/2015-3(2)2010
देहरादून: 9 अप्रैल, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015' है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(ड) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली, 2011 के नियम 3(ड) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

3(ड) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक तथा प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

नियम 4 का संशोधन

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3(ड) "अधीनस्थ पदों" से कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से किन्हीं पदों पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा-

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:-

4(1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(2) प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) मुख्य सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रवर सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संवर्ग के पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी अर्हकारी सेवावधि का निर्धारण:-

4(1) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(3) प्रशासनिक अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(4) प्रधान सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

4(5) वरिष्ठ सहायक- मौलिक रूप से नियुक्त

ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

नियम 5 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा-

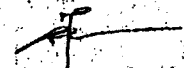
स्तम्भ-1
वर्तमान नियम

5. पदनाम परिवर्तन- नियम 2 के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ-जहाँ पदनाम, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक/ प्रधान लिपिक/ मुख्य लिपिक-1/प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ-वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5. पदनाम परिवर्तन- नियम 2 के अध्याधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में सभी विभागों में, जहाँ-जहाँ पदनाम कनिष्ठ सहायक, प्रवर सहायक, मुख्य सहायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ-वहाँ पदनाम क्रमशः कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा।

आज्ञा से,


(पी०एस० जंगपांगी),
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-892/XXX(2)/2013 55(42)2004

देहरादून 13 अगस्त 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) इस 'नियमावली' का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का प्रतिस्थापन

2. "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6. भर्ती का स्रोत- (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,

(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी

6. भर्ती का स्रोत- (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,

(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
देहरादून
507

26/8/13
26/8/13

किन्तु यह और कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लिये अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से भरा जा सकता है।

(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी- लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य

टिप्पणी- लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य

टिप्पणी- लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित

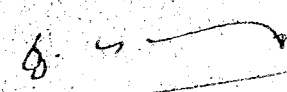
अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक दिये जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिये अधिकतम 50 अंक निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

6. 
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-716/XXX-(2)/2004-55 (42)/2004
दिनांक 14 जून, 2004

अधिसूचना प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करती और उस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, राज्य में अधीनस्थ सरकारों कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली,
2004

भाग- एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 कही जायेगी।
(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. सेवा नियमावली का लागू होना- (1) इस नियमावली द्वारा सरकार के नियंत्रण में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों से निम्न निम्नवत् श्रेणियों के लिपिक वर्गीय वर्गों पर भर्ती (जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो और जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हों) नियमित होगी, किन्तु इसमें लोक न्यायमाल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, राज्य न्यायालय, राज्य न्यायालय के नियंत्रण से बाहर और अधीनस्थ में अधीनस्थ न्यायालयों

महाविद्यालय, उत्तरांचल के कार्यालय और महाविद्युत के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं होंगे।

(2) ऐसे लिपिक वर्गीय पदों पर जिन पर यह नियमावली लागू होती है, सभी रिक्तियों के प्रति भर्ती इस नियमावली के उपबन्धों के अनुरार की जाएगी।

3 अन्य नियमों से अरांगता का प्रभाव— इस नियमावली और किसी विधित सेवा नियमावली के बीच कोई अरांगता होने की दशा में—

(एक) इस नियमावली के उपबन्ध अरांगते की सीमा तक अभिप्रायी होंगे यदि विशिष्ट नियम इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाये गये हों और

(दो) विशिष्ट नियमों का उपबन्ध इस दशा में अभिप्रायी होना यदि वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाये जायें।

4 परिभाषाएँ— जब तक उद्धरण से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी अधीनस्थ कार्यालय में किसी लिपिक वर्गीय पद का सम्बन्ध में उस प्राधिकारी से है जो उस पद पर सुरामत नियमों या आदेशों के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त हो।
- (ख) "राजधानी" का तात्पर्य "भारत के अधिष्ठान" से है।
- (ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है।
- (घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।
- (ङ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, सेनाताल से है।
- (च) "कार्यालय अध्यक्ष" का तात्पर्य किसी कार्यालय के सर्वोच्च राजनयिक अधिकारी से है।
- (ज) "लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग" का तात्पर्य अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे लिपिक कर्मचारियों से होगा जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करना अपेक्षित हो।
- (झ) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सरकार के नियंत्रण में सभी कार्यालयों से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तरांचल सचिवालय, राज्य विधान सभा, लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशन और अधीक्षण में अधीनस्थ न्यायालयों, महाविद्युत, उत्तरांचल के कार्यालय और महाविद्युत के नियंत्रण में अधिष्ठान नहीं हैं।
- (झ) "उद्धरण किया गया कर्मचारी" का तात्पर्य उद्धरण से है।

(एक) जो राज्यपाल को नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में कुछ एक वर्ष की अनुमति अवधि के लिए जिसमें दो कम से कम तीन मास की सेवा निरन्तर सेवा के रूप में लगी जाये, नियोजित था,

(दो) जिस आगमन में कभी या उसका परिणामफल किन्हीं लक्ष्य के कारण सेवा से अभिमुक्त किया गया हो या किया जा सकता हो, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छटनी किया गया कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया गया हो,

किन्तु, इसके अन्तर्गत दोनो लक्ष्य आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है।

(दो) भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की प्रथम जुलाई से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

5. सेवा की सदस्य संख्या— किसी विशिष्ट विभाग/कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या अपनी योग्य जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये—

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद या पदों के किसी वर्ग को दिना नरं हटा छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हक्कदार न होय—

परन्तु, यह और कि सरकार का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और शिक्षा विभाग के परामर्श से समय-समय पर किसी विभाग/कार्यालय में ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है जिन्हें आवश्यक समझा जाये।

भाग — दो

भर्ती

6. भर्ती का स्रोत — किसी अस्तित्व कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नलिखित श्रेणी में भर्ती नियम 9 में क्या उपबन्धित शैक्षिक और अन्य उपलब्धियों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी, परन्तु, किसी विशिष्ट अस्तित्व कार्यालय में 25 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार, उस कार्यालय के समूह या के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत में हाईस्कूल की प्रथम श्रेणी या तथा 10 प्रतिशत का इण्टरमीडिएट की प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो, विद्यमान द्वारा भरी जा सकती है।

भाग— तीन

अर्हताएं

7. आरक्षण— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अम्बर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी अधिकारियों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अम्बर्थियों के लिये आरक्षित पद पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अम्बर्थियों की ही नियुक्ति की जा सकती है। सामान्य अम्बर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।

8. राष्ट्रीयता— इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अम्बर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से तांगिस्तान, दार्जिली, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश—कोमोरो, समोआ या यूगाण्डा (अतिरिक्त अंग्रेज-तन्त्राज्या (पूर्ववर्ती तांगिस्तान और जंजोवार) से प्रवाजन किया हो—

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अम्बर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पत्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अम्बर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह तुलसी राम महानिरीक्षक, अभिरूपा, उत्तरांचल से भारत का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अम्बर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पत्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं दिया जायेगा और ऐसे अम्बर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी— ऐसे अम्बर्थी को जिसके मामले में पत्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से हो इनकार किया गया हो, किसी वादग्रस्त या वादग्रस्त में शामिल किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अतिरिक्त सेवा में नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा अपने इस लिये कार्य का उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

9. **शैक्षिक अर्हताएं**— रीढ़ी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिसर, उत्तर प्रदेश/माध्यमिक शिक्षा परिसर, उत्तरांचल की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

10. **अधिमान्य अर्हता**— अन्य बातों के समान होने पर, ऐसी अभ्यर्थी को रीढ़ी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'दी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

(तीन) स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो।

11. **आयु**— रीढ़ी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की जन्म तिथि के 18 वर्ष की होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की श्रेणी में, अक्सर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होसी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

12. **भूतपूर्व सैनिकों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिये छूट-भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के आश्रितों, उत्तरांचल सरकार के सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में अधिमान आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताओं में या भर्ती की किन्हीं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के समय इस विनिर्दिष्ट प्रकृत सरकार के सामान्य नियमों और आदेशों के अनुसार होगी।**

13. **वारिज**— सेवा में किसी पद पर रीढ़ी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का वरिष्ठ ऐसा होगा चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सही प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्रक्रियाएँ इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

दिपपत्ती— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्रशासकीय द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदयुक्त व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का शिर्षक प्राप्त नहीं करे। शैक्षिक अर्हता के किसी अपवाद के लिये दोषाभिज्ञ नहीं किया जायेगा।

14. वैवाहिक प्रारिथ्यता— सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अथवा महिला न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला अथवा पुरुष न होगी जिसने एक पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहली से कोई पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि सरकार समझाने हो जाए कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता— किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नहीं नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अभ्यस्त रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह नियम 10 के अधीन बर्ताव गये और दत्तिय गये प्रतिष्ठा, स्वच्छ दो, भाग तीन के अध्याय तीन में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

भाग— चार

भर्ती की प्रक्रिया

16. एक जिले में सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भर्ती एक ही साथ होगी—एक जिले में समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में लैमिक वर्गीय कार्यवाहियों की भर्ती समूह "ग" के भर्ती पर भर्ती की प्रक्रिया नियमावली में की गयी प्रक्रिया के अनुसार एक ही साथ की जायेगी।

17. चयन समिति का गठन— किसी पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई एक अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो

के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और पिछड़े वर्ग से मिलने वाले एक अधिकारी।

(3) नियुक्त अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट या अधिकारी विनाश से एक अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि उसके विभाग या संगठन में ऐसे उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो ऐसे उपयुक्त अधिकारी नियुक्त अधिकारी के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और यदि उपयुक्त अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ऐसे अधिकारी मच्छलायुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

18. भर्ती प्रति वर्ष की जायेगी— इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये चयन प्रतिवर्ष या जब कभी आवश्यक हो किया जायेगा।

19. चयन का आधार— चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्यतः अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा। तदनुसार सेवायोजना अधिकारी अभ्यर्थियों के नाम भेजते समय अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों विशेष रूप से विभाग 6 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं को ध्यान में रखेगा।

20. सेवायोजना कार्यालय को रिक्तियों की सूचना भेजना— नियुक्त प्राधिकारी के दफ्तर में गरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना और विभाग-7 के अधीन आवेदित की जाने वाली रिक्तियों की सूचना भी अप्रसारित करेगा। रिक्तियों की सूचना सेवायोजना कार्यालय को भेजी जायेगी। नियुक्त प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों से भी जिसने सेवायोजना कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर करवा हो आवेदन-पत्र सीधे अभिप्रेत कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये नियुक्त प्राधिकारी सूचना पट्ट पर एक नोटिस धिक्काने के अतिरिक्त किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिज्ञापन प्रकाशित करायेगा। ऐसे समस्त आवेदन-पत्र चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

21. चयन प्रक्रिया— विभागीय चयन समिति के माध्यम से करे जाने वाले समूह "ग" के पदों के लिये चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमवली, 2008 में विधान की गयी है।

22. फीस— चयन के लिये अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो राज्यपाल द्वारा सन्ध-समय पर विहित की जाये। फीस को वापसी के लिये कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग पांच

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

23. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति— नियम 23 के उपनिबन्ध (6) और (7) में निर्दिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंक उल्लिखित किये जायेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य और आरक्षित अभ्यर्थियों के नाम अभ्यर्थियों की योग्यतानुसार एक सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये जायेंगे और नियुक्ति का प्रस्ताव उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें उनके नाम सामान्य सूची में क्रमबद्ध किये गये हों। चयन सूची चयन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी।

24. परीक्षा— (1) जहाँ किसी विशिष्ट सेवा या पद के सम्बन्ध में चयन नियम से अन्यथा उपस्थित हो, उसके विवाध विभाग/कार्यालय में किसी स्थायी रिक्ति में किसी पद पर नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक आवेदन को एक वर्ष की अवधि की लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।

परन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे आवेदनों से जो उल्लिखित किये जायेंगे तत्काल-वास्तव मामलों में परीक्षा अन्तर्गत का दायर सकता है जिसमें ऐसा विचार निर्धारित किया जायेगा जब तक अन्तिम बढ़ायी जाये।

परन्तु, यह और कि परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(2) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षायोग्य आवेदन में अपने आवेदनों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उस पद पर, जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये तत्काल को भ्रम समाप्त हो जिससे इनमें से किसी पद में वह किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं बनाता।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी सर्वोच्च के विवाध पद पर स्थानान्तरण या अस्थायी रूप से कार्य करने के लिये एक या एक से अधिक पदों के लिये परीक्षा अवधि की समाप्ति करने के समय अवधि निम्न आने पर अनुमति दे सकता है।

25. स्थायीकरण— किसी परीक्षायोग्य व्यक्ति को, जिसके लिये परीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी

कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण अच्छा पाया जाये, उसकी सहायिष्ठा प्रमाणित कर भी जाये, और नियुक्ति प्राप्तिवासी का वह सम्मान हो जाये कि वह सम्मानजनक जाने के दिनांक पर प्राप्त हो सके।

26. ज्योष्ठता - (1) एकदमरुता, व्यालयदमित के सिद्धय इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को ज्योष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यायत एक साथ नियुक्त किये जाय तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, आधारित की जायेगी।

परन्तु, यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यायत की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक चिनिर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका सहाय्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

(2) किसी एक दयन के परिणाम के आधार पर शीघ्रे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्योष्ठता नहीं होगी, जो समय समितों द्वारा आधारित की गयी हो,

परन्तु, शीघ्रे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्योष्ठता को रखता है यदि उसकी सेवा में वह प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के द्वारा कार्यवाह प्रमाण करने में सफल रहा होगा तो युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राप्तिवासी का विनिश्चय अनिवार्य होगा।

भाग छः

वेतन इत्यादि

27. वेतनमान - (1) विभाग/कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, लाने मौलिक या स्थानात्मक स्तर में हों या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमान वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर आधारित किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रावधानों के समय प्रचुर वेतनमान 3350-75-3950-80-4550-90-5150-100-5750-110-6350-120-6950-130-7550-140-8150-150-8750-160-9350-170-9950-180-10550-190-11150-200-11750-210-12350-220-12950-230-13550-240-14150-250-14750-260-15350-270-15950-280-16550-290-17150-300-17750-310-18350-320-18950-330-19550-340-20150-350-20750-360-21350-370-21950-380-22550-390-23150-400-23750-410-24350-420-24950-430-25550-440-26150-450-26750-460-27350-470-27950-480-28550-490-29150-500-29750-510-30350-520-30950-530-31550-540-32150-550-32750-560-33350-570-33950-580-34550-590-35150-600-35750-610-36350-620-36950-630-37550-640-38150-650-38750-660-39350-670-39950-680-40550-690-41150-700-41750-710-42350-720-42950-730-43550-740-44150-750-44750-760-45350-770-45950-780-46550-790-47150-800-47750-810-48350-820-48950-830-49550-840-50150-850-50750-860-51350-870-51950-880-52550-890-53150-900-53750-910-54350-920-54950-930-55550-940-56150-950-56750-960-57350-970-57950-980-58550-990-59150-1000-59750-1010-60350-1020-60950-1030-61550-1040-62150-1050-62750-1060-63350-1070-63950-1080-64550-1090-65150-1100-65750-1110-66350-1120-66950-1130-67550-1140-68150-1150-68750-1160-69350-1170-69950-1180-70550-1190-71150-1200-71750-1210-72350-1220-72950-1230-73550-1240-74150-1250-74750-1260-75350-1270-75950-1280-76550-1290-77150-1300-77750-1310-78350-1320-78950-1330-79550-1340-80150-1350-80750-1360-81350-1370-81950-1380-82550-1390-83150-1400-83750-1410-84350-1420-84950-1430-85550-1440-86150-1450-86750-1460-87350-1470-87950-1480-88550-1490-89150-1500-89750-1510-90350-1520-90950-1530-91550-1540-92150-1550-92750-1560-93350-1570-93950-1580-94550-1590-95150-1600-95750-1610-96350-1620-96950-1630-97550-1640-98150-1650-98750-1660-99350-1670-99950-1680-100550-1690-101150-1700-101750-1710-102350-1720-102950-1730-103550-1740-104150-1750-104750-1760-105350-1770-105950-1780-106550-1790-107150-1800-107750-1810-108350-1820-108950-1830-109550-1840-110150-1850-110750-1860-111350-1870-111950-1880-112550-1890-113150-1900-113750-1910-114350-1920-114950-1930-115550-1940-116150-1950-116750-1960-117350-1970-117950-1980-118550-1990-119150-2000-119750-2010-120350-2020-120950-2030-121550-2040-122150-2050-122750-2060-123350-2070-123950-2080-124550-2090-125150-2100-125750-2110-126350-2120-126950-2130-127550-2140-128150-2150-128750-2160-129350-2170-129950-2180-130550-2190-131150-2200-131750-2210-132350-2220-132950-2230-133550-2240-134150-2250-134750-2260-135350-2270-135950-2280-136550-2290-137150-2300-137750-2310-138350-2320-138950-2330-139550-2340-140150-2350-140750-2360-141350-2370-141950-2380-142550-2390-143150-2400-143750-2410-144350-2420-144950-2430-145550-2440-146150-2450-146750-2460-147350-2470-147950-2480-148550-2490-149150-2500-149750-2510-150350-2520-150950-2530-151550-2540-152150-2550-152750-2560-153350-2570-153950-2580-154550-2590-155150-2600-155750-2610-156350-2620-156950-2630-157550-2640-158150-2650-158750-2660-159350-2670-159950-2680-160550-2690-161150-2700-161750-2710-162350-2720-162950-2730-163550-2740-164150-2750-164750-2760-165350-2770-165950-2780-166550-2790-167150-2800-167750-2810-168350-2820-168950-2830-169550-2840-170150-2850-170750-2860-171350-2870-171950-2880-172550-2890-173150-2900-173750-2910-174350-2920-174950-2930-175550-2940-176150-2950-176750-2960-177350-2970-177950-2980-178550-2990-179150-3000-179750-3010-180350-3020-180950-3030-181550-3040-182150-3050-182750-3060-183350-3070-183950-3080-184550-3090-185150-3100-185750-3110-186350-3120-186950-3130-187550-3140-188150-3150-188750-3160-189350-3170-189950-3180-190550-3190-191150-3200-191750-3210-192350-3220-192950-3230-193550-3240-194150-3250-194750-3260-195350-3270-195950-3280-196550-3290-197150-3300-197750-3310-198350-3320-198950-3330-199550-3340-200150-3350-200750-3360-201350-3370-201950-3380-202550-3390-203150-3400-203750-3410-204350-3420-204950-3430-205550-3440-206150-3450-206750-3460-207350-3470-207950-3480-208550-3490-209150-3500-209750-3510-210350-3520-210950-3530-211550-3540-212150-3550-212750-3560-213350-3570-213950-3580-214550-3590-215150-3600-215750-3610-216350-3620-216950-3630-217550-3640-218150-3650-218750-3660-219350-3670-219950-3680-220550-3690-221150-3700-221750-3710-222350-3720-222950-3730-223550-3740-224150-3750-224750-3760-225350-3770-225950-3780-226550-3790-227150-3800-227750-3810-228350-3820-228950-3830-229550-3840-230150-3850-230750-3860-231350-3870-231950-3880-232550-3890-233150-3900-233750-3910-234350-3920-234950-3930-235550-3940-236150-3950-236750-3960-237350-3970-237950-3980-238550-3990-239150-4000-239750-4010-240350-4020-240950-4030-241550-4040-242150-4050-242750-4060-243350-4070-243950-4080-244550-4090-245150-4100-245750-4110-246350-4120-246950-4130-247550-4140-248150-4150-248750-4160-249350-4170-249950-4180-250550-4190-251150-4200-251750-4210-252350-4220-252950-4230-253550-4240-254150-4250-254750-4260-255350-4270-255950-4280-256550-4290-257150-4300-257750-4310-258350-4320-258950-4330-259550-4340-260150-4350-260750-4360-261350-4370-261950-4380-262550-4390-263150-4400-263750-4410-264350-4420-264950-4430-265550-4440-266150-4450-266750-4460-267350-4470-267950-4480-268550-4490-269150-4500-269750-4510-270350-4520-270950-4530-271550-4540-272150-4550-272750-4560-273350-4570-273950-4580-274550-4590-275150-4600-275750-4610-276350-4620-276950-4630-277550-4640-278150-4650-278750-4660-279350-4670-279950-4680-280550-4690-281150-4700-281750-4710-282350-4720-282950-4730-283550-4740-284150-4750-284750-4760-285350-4770-285950-4780-286550-4790-287150-4800-287750-4810-288350-4820-288950-4830-289550-4840-290150-4850-290750-4860-291350-4870-291950-4880-292550-4890-293150-4900-293750-4910-294350-4920-294950-4930-295550-4940-296150-4950-296750-4960-297350-4970-297950-4980-298550-4990-299150-5000-299750-5010-300350-5020-300950-5030-301550-5040-302150-5050-302750-5060-303350-5070-303950-5080-304550-5090-305150-5100-305750-5110-306350-5120-306950-5130-307550-5140-308150-5150-308750-5160-309350-5170-309950-5180-310550-5190-311150-5200-311750-5210-312350-5220-312950-5230-313550-5240-314150-5250-314750-5260-315350-5270-315950-5280-316550-5290-317150-5300-317750-5310-318350-5320-318950-5330-319550-5340-320150-5350-320750-5360-321350-5370-321950-5380-322550-5390-323150-5400-323750-5410-324350-5420-324950-5430-325550-5440-326150-5450-326750-5460-327350-5470-327950-5480-328550-5490-329150-5500-329750-5510-330350-5520-330950-5530-331550-5540-332150-5550-332750-5560-333350-5570-333950-5580-334550-5590-335150-5600-335750-5610-336350-5620-336950-5630-337550-5640-338150-5650-338750-5660-339350-5670-339950-5680-340550-5690-341150-5700-341750-5710-342350-5720-342950-5730-343550-5740-344150-5750-344750-5760-345350-5770-345950-5780-346550-5790-347150-5800-347750-5810-348350-5820-348950-5830-349550-5840-350150-5850-350750-5860-351350-5870-351950-5880-352550-5890-353150-5900-353750-5910-354350-5920-354950-5930-355550-5940-356150-5950-356750-5960-357350-5970-357950-5980-358550-5990-359150-6000-359750-6010-360350-6020-360950-6030-361550-6040-362150-6050-362750-6060-363350-6070-363950-6080-364550-6090-365150-6100-365750-6110-366350-6120-366950-6130-367550-6140-368150-6150-368750-6160-369350-6170-369950-6180-370550-6190-371150-6200-371750-6210-372350-6220-372950-6230-373550-6240-374150-6250-374750-6260-375350-6270-375950-6280-376550-6290-377150-6300-377750-6310-378350-6320-378950-6330-379550-6340-380150-6350-380750-6360-381350-6370-381950-6380-382550-6390-383150-6400-383750-6410-384350-6420-384950-6430-385550-6440-386150-6450-386750-6460-387350-6470-387950-6480-388550-6490-389150-6500-389750-6510-390350-6520-390950-6530-391550-6540-392150-6550-392750-6560-393350-6570-393950-6580-394550-6590-395150-6600-395750-6610-396350-6620-396950-6630-397550-6640-398150-6650-398750-6660-399350-6670-399950-6680-400550-6690-401150-6700-401750-6710-402350-6720-402950-6730-403550-6740-404150-6750-404750-6760-405350-6770-405950-6780-406550-6790-407150-6800-407750-6810-408350-6820-408950-6830-409550-6840-410150-6850-410750-6860-411350-6870-411950-6880-412550-6890-413150-6900-413750-6910-414350-6920-414950-6930-415550-6940-416150-6950-416750-6960-417350-6970-417950-6980-418550-6990-419150-7000-419750-7010-420350-7020-420950-7030-421550-7040-422150-7050-422750-7060-423350-7070-423950-7080-424550-7090-425150-7100-425750-7110-426350-7120-426950-7130-427550-7140-428150-7150-428750-7160-429350-7170-429950-7180-430550-7190-431150-7200-431750-7210-432350-7220-432950-7230-433550-7240-434150-7250-434750-7260-435350-7270-435950-7280-436550-7290-437150-7300-437750-7310-438350-7320-438950-7330-439550-7340-440150-7350-440750-7360-441350-7370-441950-7380-442550-7390-443150-7400-443750-7410-444350-7420-444950-7430-445550-7440-446150-7450-446750-7460-447350-7470-447950-7480-448550-7490-449150-7500-449750-7510-450350-7520-450950-7530-451550-7540-452150-7550-452750-7560-453350-7570-453950-7580-454550-7590-455150-7600-455750-7610-456350-7620-456950-7630-457550-7640-458150-7650-458750-7660-459350-7670-459950-7680-460550-7690-461150-7700-461750-7710-462350-7720-462950-7730-463550-7740-464150-7750-464750-7760-465350-7770-465950-7780-466550-7790-467150-7800-467750-7810-468350-7820-468950-7830-469550-7840-470150-7850-470750-7860-471350-7870-471950-7880-472550-7890-473150-7900-473750-7910-474350-7920-474950-7930-475550-7940-476150-7950-476750-7960-477350-7970-477950-7980-478550-7990-479150-8000-479750-8010-480350-8020-480950-8030-481550-8040-482150-8050-482750-8060-483350-8070-483950-8080-484550-8090-485150-8100-485750-8110-486350-8120-486950-8130-487550-8140-488150-8150-488750-8160-489350-8170-489950-8180-490550-8190-491150-8200-491750-8210-492350-8220-492950-8230-493550-8240-494150-8250-494750-8260-495350-8270-495950-8280-496550-8290-497150-8300-497750-8310-498350-8320-498950-8330-499550-8340-500150-8350-500750-8360-501350-8370-501950-8380-502550-8390-503150-8400-503750-8410-504350-8420-504950-8430-505550-8440-506150-8450-506750-8460-507350-8470-507950-8480-508550-8490-509150-8500-509750-8510-510350-8520-510950-8530-511550-8540-512150-8550-512750-8560-513350-8570-513950-8580-514550-8590-515150-8600-515750-8610-516350-8620-516950-8630-517550-8640-518150-8650-518750-8660-519350-8670-519950-8680-520550-8690-521150-8700-521750-8710-522350-8720-522950-8730-523550-8740-524150-8750-524750-8760-525350-8770-525950-8780-526550-8790-527150-8800-527750-8810-528350-8820-528950-8830-529550-8840-530150-8850-530750-8860-531350-8870-531950-8880-532550-8890-533150-8900-533750-8910-534350-8920-534950-8930-535550-8940-536150-8950-536750-8960-537350-8970-537950-8980-538550-8990-539150-9000-539750-9010-540350-9020-540950-9030-541550-9040-542150-9050-542750-9060-543350-9070-543950-9080-544550-9090-545150-9100-545750-9110-546350-9120-546950-9130-547550-9140-548150-9150-548750-9160-549350-9170-549950-9180-550550-9190-551150-9200-551750-9210-552350-9220-552950-9230-553550-9240-554150-9250-554750-9260-555350-9270-555950-9280-556550-9290-557150-9300-557750-9310-558350-9320-558950-9330-559550-9340-560150-9350-560750-9360-561350-9370-561950-9380-562550-9390-563150-9400-563750-9410-564350-9420-564950-9430-565550-9440-566150-9450-566750-9460-567350-9470-567950-9480-568550-9490-569150-9500-569750-9510-570350-9520-570950-9530-571550-9540-572150-9550-572750-9560-573350-9570-573950-9580-574550-9590-575150-9600-575750-9610-576350-9620-576950-9630-577550-9640-578150-9650-578750-9660-579350-9670-579950-9680-580550-9690-581150-9700-581750-9710-582350-9720-582950-9730-583550-9740-584150-9750-584750-9760-585350-9770-585950-9780-586550-9790-587150-9800-587750-9810-588350-9820-588950-9830-589550-9840-590150-9850-590750-9860-591350-9870-591950-9880-592550-9890-593150-

सम्मानप्रद सेवा पूरा कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि तभी की जायेगी जब उसे स्थगित कर दिया गया हो,

परन्तु यदि सम्मान प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा सफल में यत्न करने पर नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि सम्मान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थानीय सरकारी सेवा में हो, परीक्षा अवधि में देवता सचिव के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवार्त सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुरक्षा नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग सात अन्य संपबन्ध

29. महा सम्पूर्ण-पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अप्रत्यक्ष विनियमों से विना किसी अन्य विनियमों पर कुछ सिद्धि हो के मर्यादित विकार को किया जायेगा। किसी आयुषी की ओर से अपनी अप्रत्यक्षता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण प्राप्त करने का कोई प्रकार उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

30. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो विनियमित रूप से इस नियमावली या विशेष अधेशों के अन्तर्गत न आते हों, विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवार्त सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और अधेशों द्वारा विनियमित होगी।

31. सेवा की शर्तों में विशेषज्ञता का राज्य सरकार को यह समझना है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होगी, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी अधेश द्वारा उस समझ तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह समझ में

साधारण और सामान्य शैली से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस विषय में आपका भी अभिप्राय न समझा जाये या जारी शिष्टता कर सकती है।

32. व्यावृत्ति:- इस नियमावली की किसी कल का कोई प्रभाव ऐसे आदेशों और अन्य स्थितियों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस समझ में रहकर द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये संस्था किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,



(नृप सिंह-नरसिंहवाल)
प्रमुख सचिव।